

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

No. 164]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2012/चैत्र 21, 1934

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2012/CHAITRA 21, 1934

गृह मंत्रालय

( आंतरिक सुरक्षा-। प्रभाग )

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 288(अ).— गुष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

1294 GI/2012

ESH

Muis

- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है ।
- 5. आरंभिक गठन उक्त अनुसूची में विणित पदों पर ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर पदधारण किए हुए हैं इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त प्रकाशन से पहले उनके द्वारा उद्भत पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा को अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए उनकी पात्रता पर विनिश्चय करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।
- 6. निरर्हता : वह व्यक्ति--
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह रामाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 7. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन वैड ओर ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी न्याय संबंधी मनोविज्ञानी	* 01 (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा संकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन वैंड- 3; 15600- 39100 रु. । ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	(कंन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नायालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और	(ii) अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या अपराध विज्ञान / अपराध अन्वेषण का तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीय :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डाकटरेट डिग्री । (ii) रोग - विषयक मनोविज्ञान में प्रेक्टिस करने का तीन वर्ष का अनुभव । (iii) रोग - विषयक मनोविज्ञान में एम.फिल या न्याय संबंधी मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या रोग-विषयक मनोविज्ञान में

				अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।
--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा । (11)	यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :-	(12)	(13)
कन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी, कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : - (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड में वेतन 4800 रु. या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तम (७) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैमिक	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति, जो निम्निलखित से मिलकर बनेगी :- 1. महानिरीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक (प्रशासन ), राष्ट्रीय - सदस्य अन्वेषण अभिकरण 3 निदेशक (आंतरिक सुरक्षा), - सदस्य गृह मंत्रालय	
अर्हताएं और विहित अनुभव है ।  िट्रेप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/िकसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	<ul> <li>4. निदेशक, केन्दीय न्याय संबंधी - सदस्य विज्ञान प्रयोगशाला</li> <li>5. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी - 1), -सदस्य केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोग- शाला ।</li> </ul>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	* 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बेंड- 3; 15600- 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(II) किसी जाय विज्ञान संबंधी अर्दता (अर्द्धित जन्मादिव जिल्ला) विज्ञान/मान विज्ञान(भैतिक) वनस्पति विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री ।  टिप्पण I - अर्दताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण II - अनुभव संबंधी अर्दता(अर्द्धताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीवे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की
<b>(8)</b> लागू नहीं होता	(9)	प्रतिशतता
	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्त/आमेलन जिसके न हो सकने
		पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)		
प्रतिनियक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :-	(12)	(13)
पिन्त्राय संस्कार/राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी, कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : - (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार एवं सरक्ष प्रस्तित के	्रिक्त	प्रत्येक अवसर पर संघ लो <b>क सेवा</b> आयोग से परामर्श करना आवश्य <b>क है</b> ।
वेतन 4800 रु. में या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित अध्या पर के र्		
की है ; या (iii ) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300 -34800 + ग्रेड वेतन 4600 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस	2. उप महानिरीक्षक (प्रशासन ), राष्ट्रीय - सदस्य	
श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है ।	1 2 things (air C	
<del></del>	4. निदेशक, केन्दीय न्याय संबंधी - सदस्य विज्ञान प्रयोगशाला	
अंतर्गत अल्ब्रकालिक संविदा भी हैं) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। विनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	5. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी - I), -सदस्य केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोग- शाला ।	

(1) विस्फोटक विशेषज्ञ	(2)  * 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	(4) वेतन बैंड- 3; 15600- 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	(5)	(6)  आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं )  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-	स्तर पर रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो । (ii) विस्फोटक और अग्न्यायुद्ध के परीक्षण का पाँच वर्ष का अनुभव । वांछनीय :- (i) रसायन विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री । टिप्पण I - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण II - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके
					लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान औ निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थिये के लिए विहित की गई है।)	लए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपक्षित अनुभव रखन

-

Table 1

(10)

नहीं		0,000,000		(10)	1 11
		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत	
				अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो	Ш
				सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	
वितन 4800 रु. में या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है।  िटेप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उत्थिक्ति की अर्था कि प्राप्त के अर्था कि प्राप्त के अर्था के उत्थि कि अर्थ के उत्थि कि अर्थ के अर्थ कि केन्द्रीय सरकार के उत्थि कि अर्थ के अर्थ कि अर्थ कि केन्द्रीय सरकार के उत्थि कि अर्थ के अर्थ कि केन्द्रीय सरकार के उत्थि कि केन्द्रीय सरकार के उत्थि कि अर्थ के अर्थ कि केन्द्रीय सरकार के उत्थि कि अर्थ के अर्थ कि केन्द्रीय सरकार के उत्थि कि अर्थ के अर्थ कि केन्द्रीय सरकार के उत्थि कि अर्थ के अर्थ के अर्थ कि केन्द्रीय सरकार के उत्थि कि अर्थ के अर्थ के अर्थ कि केन्द्रीय सरकार के उत्थि कि अर्थ के अर्	<ol> <li>महानि</li> <li>उप मह अन्वेषण</li> <li>निदेशक गृह मंत्र</li> <li>निदेशक</li> </ol>	(12)  संबंध में विचार करने के लिए सम् ामिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बर् रीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण  इानिरीक्षक (प्रशासन ). राष्ट्रीय  ा अभिकरण  (आंतरिक सुरक्षा), ालय  , केन्दीय न्याय संबंधी प्रयोगशाला	रूह 'क' विभागीय नेगी :- - अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य - सदस्य	सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	
अंतर्गन अन्तर्भात की अवधि है। जिसके	5. ज्येष्ठ वै:	ज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी - 1), न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोग-	-सदस्य		

(8) नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
उप विधि सलाहकार	* 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, सभूह क राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बेंड- 3; 15600- 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए	अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथल की जा राकती है जब चयन के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथल की जा राकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग को यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिवित्तयों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। की सम्भावना नहीं है ।

(8) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के तिए एक वर्ष आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ	(10)  प्रान्नित, जिसके न हो सकने पर प्रितिनयुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) आमेलन, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	2

(11)	(12)	
प्रोन्नित - ऐसे ज्येष्ठ लोक अभियोजक जिन्होंने वेतन बैंड 3; 15600-39100रू0+ ग्रेड	(12)	(13)
वितन 6600 रु. में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ।	समह 'क' विभागीय पोन्नि क्लिन के किएकि के	एलोक अवस्य पर गांग के
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /आमेलन: केन्द्रीय	बनेगी :-	आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
सरकार/राज्य सरकार/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध		जाना स नसारा करता आवश्वक है ।
सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठन के	1.संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष - अध्यक्ष	
ऐसे अधिकारी:-	2. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य	
(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं. या	( एन आई ए)	
(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15600-39100 रु. + ग्रेड	3. संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा),	
वेतन 6600 रु. में या रामतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा छी है	गृह मंत्रालय । - सदस्य	
(ख) जिनके पास रतंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाल व्यक्तियों के लिए यथा विहित		
निम्नलिखित शेक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है :-		
आवश्यक:		
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री :		
(ii) दंडिक मामलों का अभियोजन करने का दस वर्ष का अनुभव ।		
टिप्पण : पोधक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है,		
प्रातानयुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे हुनी एकान		
प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के प्रात्र नहीं होंगे		
(mail mail and and A Arms) in the contraction of th		
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत		
केन्द्रीय सरकार के उसी /िकसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं( जिसके		
अंतर्गत अल्पकालिक रांविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से आधेक नहीं होगी ।		
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा ( जिसके अंतर्गत	*	
अल्पकालिक संविद्धा भी हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख का 56 दर्ष से		
अधिक नहीं होगी ।)		1

	(1) 5.ज्येष्ठ लोक अभियोजक	* 02 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600- 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी	के विवकानुसार अनुसूचित जातिया आर जुरुपूज़ व राजातिया अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
--	---------------------------------	--	--	--	-----	--	--

दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	(8) आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताऍ : हॉ	(9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	(10) प्रोन्नित, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
---	---	---	---

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति - ऐसे ज्येष्ठ लोक अभियोजक जिन्होनें वेतन बैंड 3; 15600-39100रू0+ ग्रेड		
वेतन 5400रू0 में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति, जो निम्निलखित से मिलक	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /आमेलन: केन्द्रीय	बनेगी :-	आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
सरकार/राज्य सरकार/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सेक्टर		
उपक्रमों/अर्ध सरकारी/कानूनी या खायत्त संगठन के	1. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष	
ऐसे अधिकारी:-	( एन आई ए)	
( क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या	2. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य	
(ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन	( एन आई ए)	
5400 रु.या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है;	3. निदेशक (आंतरिक सुरक्षा),	
और	गृह मंत्रालय । - सदस्य	
(ख) जिनके पास स्तंभ (७) में यथा विहित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है		
<b>∀</b>		•
आवश्यक:		
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री ;		4
(ii) दंडिक मामलों का अभियोजन करने का आठ वर्ष का अनुभव ।		
टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है,		
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार		
प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे		. '
प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत	, ,	
केन्द्रीय सरकार के उसी /किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले	;	
धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं( जिसके अंतर्गत	,	·
अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति		
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा	·	
भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		
		_ <del>                                    </del>

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लोक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600- 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	वर्ष का विधि-व्यवसाय या राज्य न्यायिक सेवा या राज्य या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में 07 वर्ष का अनुभव ।  (iii)कम्प्यूटर और इंटरनेट पर शब्द प्रक्रमण का बुनियादी ज्ञान ।  टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघलोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है  टिप्पण 11 - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों वे अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन वे किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनवं लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर
•		प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत
		अल्पकालिक संविदा भी है) /आमेलन
·		द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): - केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:- क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विहित निम्निलखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है :- आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री है; (ii) दंडिक मामलों का अभियोजन करने का पाँच वर्ष का अनुभव ।  टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति, जो निम्निलिखित से मिलकर बनेगी : -  1. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष (एन आई ए)  2. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य (एन आई ए)  3. संयुक्त सचिव, (आंतिरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय। - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ंचेष्ठ तंत्र विश्लेषक	* 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600- 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600रू.	तागू नहीं होता	(6)  आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/संक्रिया अनुसंघान/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र/वाणिज्य में मास्टर डिग्नी या इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्नी या समतुल्य । (ii) प्रोग्नामिंग के लिए :- इलेक्ट्रोनिक्स आंकड़ा प्रक्रमण/कम्प्यूटर ओरिएंटेड आप्टीमाइजेशन, सूचना या स्टैटिकल सिस्टम का ७ वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम ३ वर्ष का अनुभव एक्चुवल कम्प्यूटर प्रोग्नामिंग और सिस्टम डिजाइन पर किसी उत्तरदायित्व हैसियत में हो । (iii)सूचना तंत्र के लिए - इलेक्ट्रोनिक आंकड़ा प्रक्रमण कार्य का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव डिजाइन, विकास या कम्प्यूटरीकृत सूचना संचयन और पुन : प्राप्ति तंत्र में पर्यवेक्षी हैसियत में हो । टिप्पण I - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथल की जा सकती है । टिप्पण II - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
						की सम्भावना नहीं है । वांछनीय  (i) इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्नी या आवश्यक के

		अधीन उपरोक्त (i) में किसी भी विषय में डाक्टरेट
		(ii) तंत्र विश्लेषण या उच्च कम्प्यूटर प्रणाली में प्रशिक्षण
		(iii) निम्नलिखित क्षेत्र में एक वर्ष या एक से अधिक वर्ष का
•		अनुभव : -
		(क) आंकड़ा-आधार सूचना प्रबंध तंत्र के विकास
		(ख) कम्प्यूटर आप्टीमाइजेशन समस्या के समाधान अर्थात् लाइनर
		प्रोगामिंग, मिश्रित इंटेजर प्रोग्रामिंग ।
		(ग) कम्प्यूटर आपरेशन प्लानिंग माडल्स के समाधान ।

	(8)	,	(e)	(10)
	लागू नहीं होता	•	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत
			एक वर्ष	अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन,
		·		जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
L				

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /आमेलन : - केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/रांघ राज्यक्षोत्रों के ऐसे अधिकारी : - (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वंतन बेंड-3 के वेतनमान 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास रतंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शंक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है । िरण्ण । : प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सर्विदा भी हैं) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । रिष्ण । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । रिषण । प्रतिनियुक्ति पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया हैं) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापित ग्रेड हैं, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित प्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।	नहानिदशक, राष्ट्राय अन्दर्षण आधकरण - अध्यक्ष ( एन आई ए)     अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण ( एन आई ए) - सदस्य     सयुक्त सचिव/ निदेशक (आंतरिक सुरक्षा),     गृह मंत्रालय । - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

	भारत
1	3
	भारत का राजपत्र
	••
	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	,				,	
					,	
लेखाकार	* 01	साधारण	वेतन बैंड-	चयन	लागू नहीं होता	लांगू नडीं होता
	(2011)	केन्द्रीय सेवा,	2;			, a 101 2101
	* कार्यभार के	समूह 'ख'	9300-			
	आधार पर	अराजपत्रित,	34800			
	परिवर्तन	अनुसचिवीय	₹, +	*		
	किया जा	·	ग्रेड वेतन		·	
	सकता है।	,	4200र्रू			

•

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्त: -	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :-		करना आवश्यक नहीं है ।
(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या		
(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1 के वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड	·	
वेतन 2800 रु. में या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा		
की है ; और		
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है :-		
आवश्यक		
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ।		
(ii) केन्द्रीय सरकार के संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा (एस		
ए एस ) परीक्षा में उत्तीर्ण ; या		
सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आई एस टी एस ) में रोकड़ और लेखा कार्य		
में प्रशिक्षण लिया हो या समतुल्य और रोकड़ लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का		
अनुभव ।		
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन		
या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर		
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति		
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		
िका ३६ वर्ष सा आयक ग्रहा हाना ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		·	` '	(-)	(0)	(7)
					,	
!						
<u> </u>						

आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं ।

निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों

के लिए विहित की गई है।)

PHOTOGRA-PHER.	(2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2; 9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200रू	लागू नहां हाता	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-

लागू नहीं होता

साधारण

#### आवश्यक -

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ।
- (ii)किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से आशुलिपिक का पदधारक ।
- (iii) आशुलिपि के विभिन्न शाखाओं में तीन वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत उसके सभी तकनीकी संबंधी वैज्ञानिक आशुलिपि सहित सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान भी है।
- वांछनीय (i) वैज्ञानिक प्रयोगशाला में आशुलिपि का अनुभव (ii) विडियोग्राफी में अनुभव ।
- टिप्पण I अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण II - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

	(6)	(10)
(8)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत
नहीं	साध भता किए जान वाल व्यक्तिया क लिए पा पन	अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न
		हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रितिनयुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): - केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:- क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1 में वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.के पद पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और (iii) जिन्होंने मूल काडर / विभाग में वेतन बैंड-ग, 5200 - 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ और विहित अनुभव है ।	(12)  पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति, जो निम्निलिखित से मिलकर बनेगी :-  1. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष (एन आई ए)  2. पुलिस अधीक्षक, (एन आई ए) -सदस्य  3. अवर सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय - सदस्य  4. केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान के प्रयोगशाला के ज्येष्ठ विज्ञानी अधिकारी (श्रेणी- I) और ज्येष्ठ विज्ञानी अधिकारी (श्रेणी-II) - सदस्य	(13) प्रितिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)		

[फा. सं. 21011/1/2010-आईएस-1] धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### (Internal Security-I Division)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2012

- G.S.R. 288(E).—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' & 'B' posts in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the post mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scale of Pay.—The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.
- 5. Initial Constitution.—The incumbents of the posts mentioned in the said Schedule who on the date of publication of these rules are holding the post on rugular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post on regular basis before the said publication shall be taken into account for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade.
  - 6. Disqualification.—No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Exservicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

# **SCHEDULE**

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) Age not exceeding 35 years (Relaxable
1. Technical Forensic Psychologist	*01 (2010)  * Subject to variation dependent of workload	'A', Gazetted,	Rs.15600 – 39100/-	Not Applicable	for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government)  Note: – The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

[ माग II—खण्ड 3(i)

त का एजपत्र : असाधारण

t

experience in			,	Grade Pay of Rs. 4800/- or	Security), Ministry		R
practicing clinical				equivalent in the parent	1		
psychology.				cadre/department; or	Member		
(iii) M. Phil in				·			
clinical Psychology;				(iii) with three years' service in	4. Director, Central		
or	•			the grade rendered after	Forensic Science		
PG Diploma in				appointment thereto on	Laboratory -		
Forensic				regular basis in the posts in	Member		
Psychology; or			,	the Pay Band -2, Pay Scale of			
M. Phil in Forensic				Rs. 9300-34800/- with Grade	5. Senior Scientific		II .
Psychology.		·		pay Rs. 4600/- or equivalent in	Officer (Grade-I),		THE
Alexa to				the parent cadre/department;	Central Forensic		
Note-I:				and	Science Laboratory		GAZETTE
Qualifications are					– Member.		
relaxable at the				(b) Possessing Educational			
discretion of UPSC			·	qualifications and experience			유
in case of candidates				prescribed for direct recruits			2
				in column 7.			OF INDIA:
otherwise well qualified.							m
quanneu.				Note:-Period of deputation			EXTRAORDINARY
Note-II: The				(including short term contract)	1		😤
qualifications				including period of deputation			😭
regarding				(including short term contract)	3		113
experience are				in another ex-cadre post held			<del>}</del>
relaxable at the				immediately preceding this			2
discretion of the				appointment in same or some			
UPSC in the case of	·			other			
candidates				organisation/department in			
belonging to SC and				the Central Govt. shall	I .		_
ST if, at any stage			,	ordinarily not exceed three			PA
or selection, the				years'. The maximum age limit		·	[PART II—SEC. 3(i)]
UPSC are of the				for appointment by			
opinion that				Deputation shall be not	1		l Ř
sufficient number				exceeding 56 years' as on			∥ĕ
<b>L</b>				closing date of receipt of	ì		11 =

of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.				application.	
(1) 2. Biology Expert	*01 (2011)  * Subject to variation dependent of workload	(3) General Central Service Group – 'A', Gazetted, Non-Ministerial	(4) Pay Band -3, Rs.15600 – 39100/- with Grade pay of Rs.5400/-		Age not exceeding 35 years (Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government)  Note: – The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential -	No	Two years for	Deputation	Deputation (Including Short	Group 'A'	Consultation with
		direct recruits.	(including Short	Term Contract):-	Departmental	Union Public
(i) M.Sc. Degree in			Term Contract)		Promotion	Service
Human Biology/			failing which by	Officers under the Central	Committee for	Commission is
Microbiology/Zoolo			direct	Government/State	considering	necessary on
gy/Anthropology			recruitment.	Government/	confirmation	each occasion.
(Physical)/ Botany				Universities/recognised	consisting of: -	
or M.Sc. in Forensic				Research Institutions/Union	-	
Science with				Territories/ Public Sector	1.Inspector	
Biology/Zoology as				Undertakings/Semi-	General, National	·
one of the subjects				Government, Statutory or	Investigation	
at B.Sc. level form a				Autonomous Organisation:-	Agency – Chairman.	
recognised			,	_	•	
university.				(a) (i) Holding analogous posts	2. Deputy Inspector	
				on regular basis in the parent	General	
(ii) Three years'				cadre/department; or	(Administration),	
experience in a					National	
Biological		1		(ii) With two years' service in	Investigation	
Laboratory.				the grade on regular basis in	Agency – Member.	
				posts in the Pay Band -2, Pay		
			·	Scale of Rs. 9300-34800/- with	3. Director (Internal	
Desirable				Grade Pay of Rs. 4800/- or	Security), Ministry	
(i) Doctorate				equivalent in the parent	of Home Affairs -	
Degree in Human				cadre/department; or	Member	
Biology/Microbiolo						
gy/Zoology/Anthro				(iii) with three years' service in	4. Director, Central	
pology				the grade rendered after	Forensic Science	
(Physical)/Botany				appointment thereto on	<b>.</b>	
				regular basis in the posts in		
Note-I:				the Pay Band -2, Pay Scale of		
Qualifications are				Rs. 9300-34800/- with Grade	5. Senior Scientific	
relaxable at the	1			pay Rs. 4600/- or equivalent in	Officer (Grade-I),	
discretion of UPSC				the parent cadre/department;	Central Forensic	

M

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

in case of	(8)	(9)	(10)	(11)	(43) T	
				and	(12)	(13)
andidates				aliu	Science Laboratory	
otherwise well		,		(h) 0	- Member.	
qualified.		:		(b) Possessing educational	,	
				qualifications and experience		
Note-II: The				prescribed for direct recruits in		
qualifications		1		column 7.		
regarding						
experience are			<b>.</b>	Note: Period of deputation	1	
elaxable at the				(including short term contract)		
discretion of the				including period of deputation		
JPSC in the case of				(including short term contract)		
andidates	ì			in another ex-cadre post held		
elonging to SC and				immediately preceding this		
T if, at any stage			er.	appointment in same or some		
or selection, the				other		
JPSC are of the	,			organisation/department in		
pinion that				the Central Govt. shall		
ufficient number				ordinarily not exceed three		
f candidates from				years'. The maximum age limit		
nese communities				for appointment by		
ossessing the		ľ		Deputation (including short		
equisite				term contract) shall be not		
xperience are not			,	exceeding 56 years' as on		
kely to be				closing date of receipt of		
vailable to fill up	1	ŀ		application.		
ne vacancies		Į.				
eserved for them.						
served for them.		ľ		1		

District of Himachal Pradesh, Andam and Nicobar Islands or Lakshadweep)
---

	4	(11)	(12)	(13)
(7) (8) (9)  Essential -  (i) Master's degree in Chemistry OR M.Sc. in Forensic Science with Chemistry as one of the subjects at B.Sc. level from a recognised university.  (ii) Five years' experience in examination of explosives and firearms.	(10)  Deputation (including Short Term Contract) failing which by direct recruitment.	Deputation (Including Short Term Contract):-	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of : -  1. Inspector General, National Investigation Agency - Chairman: 2. Deputy Inspector General(Administrational Investigation Agency - Chairman:	

A

(7)	(8)	(9)	(10)	/441		
Desirable			, , ,	(11)	(12)	(13)
(i) Doctorate degree				Pay Scale of Rs. 9300-34800/-		
in Chemistry.			,	with Grade Pay of Rs. 4800/- or	– Member.	
	1			equivalent in the parent		
Note-I: Qualifications				cadre/department; or	3. Director (Internal	
are relaxable at the				(iii) with three years' service in	Security), Ministry of	
discretion of UPSC in				the grade rendered after	Home Affairs -	
case of candidates	İ			appointment thereto on regular	Member	
otherwise well	1		•	basis in the posts in the Pay Band		
qualified.				-2, Pay Scale of Rs. 9300-34800/-	4. Director, Central	
·	1			with Grade pay Rs. 4600/- or	Forensic Science	
Note-II: The				equivalent in the parent	Laboratory -	
qualifications	7			cadre/department; and	Member	
regarding experience				(b) Possessing educational		
are relaxable at the				qualifications and experience	5. Senior Scientific	
discretion of the				prescribed for direct recruits in	officer (Grade-I),	
UPSC in the case of				column 7.	Central Forensic	
candidates belonging					Science Laboratory-	
to SC and ST if, at any				Note:- Period of deputation	Member.	
stage or selection,		I		(ISTC) including period of		
the UPSC are of the				deputation (ISTC) in another ex-		
opinion that				cadre post held immediately		
sufficient number of				preceding this appointment in		
andidates from		I		same or some other		
hese communities	Į.			organisation/department in the		
ossessing the				Central Govt. shall ordinarily not		
equisite experience				exceed three years'. The		
are not likely to be		= 1		maximum age limit for		
vailable to fill up the		1		appointment by Deputation		
acancies reserved		1	*	(including short term contract		
or them.				shall be not exceeding 56 years'	Alth	
we tribilly		. [		as on closing date of receipt of	,	•
		<u>.</u>		application.		

(1) 4. Deputy legal Advisor	*01 (2011)  * Subject to variation dependent of workload	(3) General Central Service Group – 'A',. Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.15600 - 39100/-	(5) Selection	Age not exceeding 50 years (Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Govt.)  Note: – The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date
					for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andamar and Nicobar Islands or Lakshadweep).

/21	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) Consultation with
(i) Degree in Law of a recognised University.  (ii) 10 years practice as an Advocate in conducting criminal cases or 10 years experience of State Judicial Service of Legal Departmen	Age: No EQs: Yes	One year for direct recruits.	Promotion, failing which by deputation (including short term contract)/absorpt ion, failing both by direct recruitment.	Senior Public prosecutor with five years' regular service in the Pay Band -3, Rs.15600 – 39100/- with Grade pay of Rs.6600/	Departmental Promotion Committee consisting of: —  1.Chairman of Union Public Service Commission — Chairman.  2.Director General	Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

I,	45)	(0)	(10)	(11)	(12)	(13)	4
(7)	(8)	(9)	(20)	Government/State	National		11 1
of State or Central				Government/ Recognized	Investigation		100
Government.				Research Institutions/	Agency (NIA) -	·	يرا
				Universities/Public Sector	Member.		ΨĔ
(iii) Basic				Undertakings/Semi-			$\parallel$
Knowledge of word				Government/ Statutory or	3.Joint, Secretary		I
processing on				Autonomous Organisation:-	(Internal Security),		.
computer and				Autonomous organism	Ministry of Home		
internet.	•			(a) (i) Holding analogous posts	Affairs - Member		Ш
				on regular basis in the			.
Note-I:				parent cadre/department, or			
Qualifications are				bornette anni at anti-			
relaxable at the				(ii) With five years' service in			
discretion of UPSC				the grade on regular basis in			$\  \ $
in case of				posts in the Pay Band-3, Scale	•		
candidates				of Pay Rs. 15,600- 39,100/-	. [	1	$\  \ $
otherwise well	· .			with Grade Pay of Rs. 6600/	-		1 11
qualified.				or equivalent in the paren	t		$\  \ $
			•	cadre/ department, and			$\  \ $
Note-II:The							$\  \ $
qualifications				(b) Possessing following	- 1		1 11
regarding				educational qualifications and	d		$\  \ $
experience are	1	· ·		experience as prescribed for	r <b>i</b>	'	
relaxable at the	i e			direct recruits in column 7:-	<b>1</b>		1 11
discretion of the		•					
UPSC in the case of			•	Essential:			
candidates				(i) Bachelors' Degree in La	~		
belonging to SC and				from a recognised university;	1		11
ST if, at any stage		:		and an advantage of			
or selection, the			1	(ii) Ten years' experience in Prosecution of Criminal Cases			
UPSC are of the				Prosecution of Criminal Cases	•		
opinion that	1		1 .	•			
sufficient numbe				The department	الد		ا <u>ل</u>
of candidates from	n			Note:- The department	.01		·····

(7)	(8)	(9)	(10)			E E
hese communities	A COMMAND OF THE PARTY OF THE P		1101	(11)	(12)	(13)
possessing the	- Jack			officers in the feeder category		
requisite	<u> </u>			who are in the direct line of		
experience are not				promotion shall not be eligible		
likely to be				for consideration for		
available to fill up				appointment on deputation.		
the vacancies	!			Similarly, deputations shall not		
eserved for them.				be eligible for consideration		
				for appointment by		
				Promotion.		
				(Period of deputation		
				(including short term		
				contract), including period of		
				deputation (including short		
				term contract) in another ex-		
				cadre post held immediately		
				preceding this appointment in		
				the same or some other		
	·	1		organisation/department of		
				the Central Government shall		
				not exceed four years. The		
				maximum age limit for		
				appointment by deputation		
				(including short term contract)		
		·		shall be not exceeding 56		
				years as on the closing date of		
				receipt of applications).		

PART II—SE

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

(6)

Age not exceeding 40 years (Relaxable

Prosecutor	Subject to variation dependent of workload	Service Group – 'A', Gazetted, Non-Ministerial	i '	·	for Government sent accordance with to order issued by the sent of the age-limit shall for receipt of candidates in India date prescribed for Meghalaya, Aru Mizoram, Manipur, Sikkim, Ladakh Divi Kashmir State, Laha and Pangi Sub-Di	date for determining be the closing date applications from (and not the closing or those in Assam, machal Pradesh, Nagaland, Tripura, ision of Jammu and aul and Spiti District vision of Chamba I Pradesh, Andaman
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential:-	Age: no	01 year for direct	Promotion, failing	Promotion:-	Group 'A'	Consultation with
(i) Degree in Law of	EQs: yes	recruits.	which by		Departmental	Union Public
a recognised			deputation	Public prosecutor with five	Promotion	Service
University.			(including short	years' regular service in the	Committee	Commission is
(::) 00 ····			term	Pay Band -3, Rs. 15600 -	consisting of: -	necessary on each
(ii) 08 years practice as an			contract)/absorpt	39100/- with Grade pay of Rs.	1.0	occasion.
Advocate in			ion, failing both by direct	5400/	1.Director General, National	
conducting criminal			recruitment.	Deputation(including short	Investigation	
cases or 08 years			recruitment.	<u>Deputation(including</u> short term contract)/Absorption:-	Agency (NIA) -	
cases of no Aegiz		1		term contract// Ausorption.		
experience of State					Chairman.	•

(4)

Pay Band -3,

(5)

Selection

(1)

5. Senior Public

(2)

\*02 (2011)

(3)

General Central

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
of State or Central				Government/Recognized	General, National	
Government.				Research Institutions/	Investigation	1
		1		Universities/Public Sector	Agency (NIA) -	
(iii) Basic				Undertakings/Semi-	Member.	
Knowledge of word				Government/ Statutory or		
processing on				Autonomous Organisation:-	3.Director	
computer and				•	(Internal Security),	
internet.				(a) (i) Holding analogous posts	Ministry of Home	
				on regular basis in the	Affairs – Member.	
Note-I:				parent cadre/department, or		
Qualifications are						
relaxable at the				(ii) With five years' service in		
discretion of UPSC	1			the grade on regular basis in		
in case of				posts in the Pay Band-3, Pay	1	
candidates				Scale of Rs. 15,600- 39,100/-	1	
otherwise well				with Grade Pay of Rs. 5400/-		
qualified.				or equivalent in the parent		
Note-II: The				cadre/ department, and		
qualifications						
regarding				(b) Possessing following		•
experience are				educational qualifications and	3 1	
relaxable at the				experience as prescribed for	3	
discretion of the				direct recruits in column 7:-		
UPSC in the case of		į.	•			
candidates		,		Essential:		
belonging to SC and						
ST if, at any stage				(i) Bachelors' Degree in Law	,	
or selection, the				from a recognised university;		
UPSC are of the						
opinion ? that				(ii) Eight years' experience in	1	
sufficient number			•	Prosecution of Criminal Cases.		
of candidates from						
these communities				Note: The departmenta	1	

(a)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	/121
possessing the			,,	officers in the feeder category	(12)	(13)
requisite						
experience are not				who are in the direct line of		
likely to be				promotion shall not be eligible for consideration for	•	
available to fill up				101		
the vacancies				appointment on deputation.		
reserved for them.				Similarly, deputations shall not		
				be eligible for consideration		
				for appointment by		
				Promotion.		•
			•			
				(Period of deputation		
		1		(including short term		
				contract), including period of		
1				deputation (including short		
				term contract) in another ex-		
		`	•	cadre post held immediately		
	1			preceding this appointment in		
				the same or some other		
				organisation/department of		
				the Central Government shall		
	į			not exceed three years. The		
				maximum age limit for		
	i	P.		appointment by deputation	4	
		-		(including short term contract)	1	
				shall be not exceeding 56		
				years as on the closing date of		
was among the three fig. Spirotestander for the control of the same of the sam				receipt of applications).		

143	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(1) 6. Public Prosecutor	*03 (2011)  * Subject to variation dependent of workload	General Central	Pay Band -3, Rs.15600–39100/- with Grade pay of Rs.5400/-	Not Applicable	Age not exceeding 35 for Government servan accordance with the order issued by Government)  Note: — The crucial data the age-limit shall be for receipt of approached for Meghalaya, Aruna Mizoram, Manipur, Nosikkim, Ladakh Divisio Kashmir State, Lahaul and Pangi Sub-Division District of Himachal Pand Nicobar Islands or	t up to 5 years in instructions or the Central e for determining the closing date plications from in Assam, chal Pradesh, lagaland, Tripura, on of Jammu and and Spiti Distriction of Chambal radesh, Andamar
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Degree in Law of a recognised University.  (ii) 7 years practice as an Advocate in conducting criminal cases or 7 year experience of State Judicial Service of Legal Department of State or Central Government.	Not applicable  e e n il is e e or	One year for direct recruitment.		Government/State  Government/Recognized  Research	Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of: —  1. Director General, National Investigation Agency — Chairman.	Consultation with Union Publi Service Commission in necessary of each occasion.

\$ .

	A	(3)	(4)	(5)	(6) Age not exceeding 50 y	ears (Relaxable
(1) . Senior System analyst	*01 (2011)  * Subject to variation dependent of workload	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -3, Rs.15600 — 39100/- with Grade pay of Rs. 7600/-	MOE Whhiteasia	for Government servant accordance with the order issued by the Cent Note: — The crucial date the age-limit shall be for receipt of applicandidates in India (and date prescribed for the Meghalaya, Arunad Mizoram, Manipur, N. Sikkim, Ladakh Divisio Kashmir State, Lahaul and Pangi Sub-Divisio District of Himachal Pand Nicobar Islands or	instructions or tral Govt.) for determining the closing date plications from d not the closing those in Assam, chal Pradesh, agaland, Tripura, in of Jammu and and Spiti District sion of Chamba tradesh, Andaman
				(11)	(12)	(13)
(7)	(8)	(9) One year f	or Deputation	Deputation(including shor	Group 'A' Departmental	Consultation with Union Public
(i) Masters' Degree in Statistics/Mathem- tics/Operations Research/Physics or		One year I direct recru only.		Officers under the Centra	Promotion	Service Commission is necessary on each occasion.
Economics/Comm rce or Degree Engineering/Comp uter Science of recognised University equivalent.	in p			(a) (i) Holding analogous poson regular basis in the pare cadre/ department; or  (ii) With five years' service the grade on regular basis posts in the Pay Band -3, fi	ts National Investigation Agency (NIA) — Chairman in 2 Additional	

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
programming-7				Scale of Rs.15600 - 39100/-	General/Inspector General, National	
years' experience				with Grade Pay of Rs.6600/- or	Investigation	
of electronics data				equivalent in the parent	Agency (NIA) -	
processing/comput		•	,	cadre/ department, and	Member.	
er oriented					Methber.	
optimisation,				(b) Possessing following	3.Joint	
information or				educational qualifications and		
statistical system,				experience prescribed for	Secretary(Internal	
out of which at				direct recruits in column 7.	Security), Ministry of Home Affairs	
least 3 years'					l	
experience should				Note-I: Period of deputation	(MHA) - Member	
be in a responsible				(including short term contract)		
capacity on actual				including period of deputation		
-				(including short term contract)		
computer programming and				in another ex-cadre post held		
system design.				immediately preceding this		
system design.	`			appointment in same or some	:	
(iii) For Information				other		
System -				organisation/department in	1	
10 years'				the Central Govt. sha		
experience of	•			ordinarily not exceed fou		
electronic data				years'. The maximum age limi		
processing work,				for appointment b	у   .	
out of which at		<b>[</b>		Deputation shall be no	1	
least 5 years'		}		exceeding 56 years' as o		
experience should	•			closing date of receipt of	of	i e
be in a Supervisory				application.		
capacity in design,		i				
development or				Note-II: For the purpose	•	
organising.				appointment	on	
computerised				deputation/absorption bas	is,	
information				the service rendered on	a	
storage and				regular basis an officer prior	to	
retrieval system.						T

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Note-I:				1.1.2006 (the date from which	[]	(13)
Qualifications are				the revised pay structure		
relaxable at the				based on the 6 <sup>th</sup> Central Pay		
discretion of UPSC				Commission recommendation		
in case of		4		has been extended) shall be		
candidates				deemed to be service		
otherwise well				rendered in the corresponding		
qualified.				Grade Pay/Pay Scale extended		
				based on the		
Note-II: The				recommendations of the pay		
qualifications		4		commission except where has		
regarding				been merger of more than one		
experience are				pre-revised scale of pay into		
relaxable at the		200	•	one grade with a common		
discretion of the				grade pay/pay scale, and		
UPSC in the case of				where this benefit will extend		
candidates				only for the post(s) for which		
belonging to SC and				that grade pay/pay scale is the		
ST if, at any stage				normal replacement grade		
or selection, the				without any upgradation.		
UPSC are of the				without any upgradation.		
opinion that						
sufficient number						
of candidates from						
these communities						
possessing the						
equisite						
experience are not		-		·		
ikely to be						
available to fill up						
the vacancies						
eserved for them.				·		
Desirable						
- CONTRACTOR						

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	[भाग ।-
(i) Masters' Degree						_	1
in							d
Engineering/Comp							(1) C 20 E
uter Science or							13
Doctorate in any of							
these subjects in (i)							
above under the							
'Essential							
Qualification'.							1
(ii) Training in							
System Analysis or							
Advanced							
Computer System.							
(iii) Experience of							1
one or more of the				·			
following field:-							
(a) Development of			·				
Data-base							
management		·					
information							
system.							1
(b) Computer							
solutions of							
optimisation							۱
problems, e.g. liner							
programming,							
mixed integer							
programming.						·	
(c) Computer solutions of							
1							
operational							
economy-wise	1		<b>_</b>				

2 1 1 C

भारत का राजपत्र : असाधारण

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
planning models.						
411	4					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
9. Accountant	variation	General Central Service Group – 'B', Non- of Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300 –34800/- with Grade pay of Rs. 4200/-		Not Applicable	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Deputation.	Deputation:- Officers under the Central Government/State Government/ Union Territories.  (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With six years' service in the grade on regular basis in posts in the Pay Band –1, Pay Scale of Rs. 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre/department; and  (b) Possessing following educational qualifications and experience: Essential:- (i) Bachelor's Degree from a recognised University.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

abilia

(7)	(8)	(9)	/10)			
			(10)	(11)	(12)	(13)
				Accounts Service (SAS)		1431
				Examination conducted by		
				organized Accounts		
				Department of the Central		
				Government;; OR		
	1			Should have been undergone		
				training in Cash and Accounts	I	
	•			work in the Institute of		
				Secretarial Training and		
		·		Management (ISTM) or		
ł		1		equivalent and three years'		
				experience in cash, accounts		
				and budget work.		
	·			(Period of deputation including		
				period of deputation in another		
		1		ex-cadre post held immediately		
			*	preceding this appointment in		
			•	same or some other		
	•			organisation/department in the		
·				Central Govt. shall ordinarily		
				not exceed three years'. The		
				maximum age limit for	1	
ł		İ		appointment by Deputation		
		į		shall be not exceeding 56 years'		
	1			as on closing date of receipt of		
				application).		

(1) LO. Photographer	(2) *01 (2011) * Subject to variation as per workload	Int Non	Rs.9300 - 34800/-	(5) Not Applicable	Age not exceeding 30 for Government Servan accordance with the order issued by Government)  Note: – The crucial dat the age-limit shall be for receipt of agrandidates in India (and date prescribed for Meghalaya, Aruna Mizoram, Manipur, Mizoram, Manipur, Miskim, Ladakh Divisi Kashmir State, Lahau and Pangi Sub-Divi District of Himachal and Nicobar Islands o	instructions or the Central efor determining the closing date oplications from those in Assam, echal Pradesh, Nagaland, Tripura, on of Jammu and I and Spiti District ision of Chamba Pradesh, Andaman or Lakshadweep).
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) Consultation with

		(10)	(11)	(12)	(13)
Essential - (i) Bachelors' Degree from a recognised University (ii)Diploma holder in photography from a recognised Institute. iii) Three years experience in various branches con photography, including	Two years for direct recruit.	Deputation	Deputation (Including Short Term Contract):-  Officers under the Central Government/State Government/ Universities/recognised Recearch Institutions/Union	Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of: —  1. Deputy Inspector General, National Investigation Agency (NIA) — Chairman.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including Short Term Contract).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1131
experience of				on regular basis in the parent	1	(13)
Scientific			ļ	cadre/department; or	2. Superintendent of Police, NIA –	
Photography with				(ii) With six years' service in	Member	
theoretical and				the grade on regular basis in	Member	
practical knowledge				posts in the Pay Band -1, Pay	3 Undas Cassas	
of all its techniques.				Scale of Rs. 5200-20200/- with		
Desirable -	•			Grade Pay of Rs. 2800/- or	(internal Security),	
(i) Experience in				equivalent in the parent	Affairs Manual	
photography in			•	cadre/department; or	Allairs - Member	
scientific				(iii) with ten years' service in	A Canian Catalytic	
laboratory.				the grade rendered after		
(ii) Experience in				I a a a a taka a a a a a a a a a a a a a	•	
Videography.				regular basis in the posts in the	and Senior	
Note-I:	•			Pay Band -1, Pay Scale of Rs.	Scientific officer	ŧ
Qualifications are	•				Forensic Science	
relaxable at the				Rs. 2400/- or equivalent in the	Forensic Science	
discretion of SSC in				parent cadre/department;	Mombor	
case of candidates				and	welliber.	
otherwise well			,			
qualified.				(b) Possessing educational		
Note-II: The				qualifications and experience		1
qualifications	•			prescribed for direct recruits in		1
egarding				column 7.		
experience are				(Period of	,	
elaxable at the						
iscretion of the				1		
SC in the case of				term contract) including period of deputation (including		
andidates				Later and the state of the stat		
elonging to SC and				another ex-cadre post held		
T if, at any stage			,	immediately preceding this		•
r selection, the				appointment in same or some		
SC are of the				other		<b>'</b> **
pinion that						
				organisation/department in		

[ भाग | I—खण्ड 3(i) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

			1.01	. (11)	(12)	(13)
(7)	(8)	(9)	(10)	the Central Govt. shall		
sufficient number				ordinarily not exceed three		
of candidates from				years'. The maximum age limit		
these communities				for appointment by		
possessing the	1			Deputation (including short		
requisite	·			term contract) shall be not		
experience are not				exceeding 56 years' as on		
likely to be				closing date of receipt of		
available to fill up				application).		
the vacancies						
reserved for them.						

[F. No. 21011/1/2010-1S-1]
DHARMENDRA SHARMA, Jr. Secy.